श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: उत्तर प्रदेश ही नहीं, किसी प्रदेश से अब तक इसका जवाब नहीं आया है। जहां तक खर्च का है, खर्च दोनों का होगा जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत भारत सरकार जरूर देगी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: श्रीमन्, उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत देगी कम से कम, यानी आपने रेश्यो निश्चित की है या नहीं की है? यदि की है तो कितनी की है और यदि नहीं की है तो 50 प्रतिशत किस आधार पर कह रहे हैं?

श्री सभापति: अभी तो चर्चा कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: स्कीम आपने बना दी है और पता ही नहीं है कि कितना केन्द्र करेगा, कितना प्रदेश करेगा?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: यह मामला प्लानिंग से संबंधित है, फाइनैंस से संबंधित है, हर चीज से संबंधित है।

SHRI PASUMPON THA. KRUTTINAN: Mr. Chairman, Sir, whether it is RLEGP, NREP, IRDP, JRY or NJY, these are centrally sponsored schemes and they are being implemented by the State Governments. So far as the implementation is concerned, some States are doing it properly and successfully. Tamil Nadu tops it. When the allotment is made, the population is taken into consideration. While some States are lagging behind, some States are going ahead. Will this be taken into consideration while allotting funds?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: यह बात सही है कि जिन राज्यों द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है और हम ज्यादा ध्यान देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: सर, मैं यह जानना चाह रहा था मंत्री महोदय से कि राज्य सरकारों को जो पत्र लिखे गए, वह किस तारीख को लिखे गए?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: इसकी अलग से सूचना चाहिए।

*145. [*The questioner (Shri B. L. Panwar) was absent. For answer* vide *Col.* 35 to 36 infra.]

MR. CHAIRMAN: Question No. 146.

कृषि मजदूरों के लिए कानूनी प्राधिकरणों का सृजन

*146. **श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन, अनन्य रूप से कृषि मजदूरों के लिए कानूनी प्राधिकरणों का सृजन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अनेक राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने केवल कृषि के नियोजन में लगे कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निरीक्षक नियुक्त कर दिए हैं। 20 अप्रैल, 1990 को हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने की जरूरत पर बल दिया गया था। यह भी बताया गया कि यदि आवश्यक हो तो संगठित क्षेत्र के लिए केवल श्रम निरीक्षकों का एक काडर गठित किया जाए जैसाकि कुछ राज्यों में किया गया है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सभापति महोदय, यह राज्य श्रम मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है, इसमें जो रिकमेंडेशंस उन्होंने सरकार को की है, मंत्री महोदय कृपया वह सदन को बताएंगे और उसके साथ-साथ क्या आपने इस सम्मे-

लन के माध्यम से आज तक जो मिनिमम वेजिज फिक्स अप की हुई है डिफरेंट-डिफरेंट स्टेट की, उस पर भी कोई चर्चा की है या नहीं? अगर की है तो पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट रेट क्या और रिकमेंडेशन क्या दिया गया है?

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, जहां तक श्रम मंत्रियों के सम्मेलन का सवाल है, श्रम मंत्रियों ने अपने सम्मेलन में बहुत मुद्दों पर विचार किया जिसमें मिनिमम वेजिस एक्ट भी था, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी था, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेबरस के संबंध में बोर्ड बनाया जाए और उसके माध्यम से मजदूरों का शोषण रोका जाए, इन पर विचार किया। जो मुख्य प्रश्न आपने पूछा है मिनिमम वेजिस के संबंध में, मिनिमम वेजिस एक्ट तो बने हुए है और यह प्रत्येक राज्य सरकार के जिम्मे हैं कि वह उसको लागू भी करवाए। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी कहा है कि मजदूरी दरों के प्रत्येक दो वर्षों में या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंट वृद्धि होने पर जो भी पहले हो, निर्धारित करके उसको संतुलित करना चाहिए और राज्य सरकार के ऊपर भी यह जवाबदेही है कि मिनिमम वेजेज को लागू करा दे। आपने पूछा कि क्या सेंट्रल सरकार कोई ऐसी बॉडी बनाने की बात सोच रही है, जो बॉडी इसको इम्प्लीमेंट करा सके, तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि खेतिहर मजदूरों की जो समस्या है, वह बहुत विकट समस्या है और यह असंगठित मजदूर बहुसंख्यक हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हैं और यह बात भी सही है कि इनको न्यूनतम मजदूरी जो मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिल पाती है। वह मैक्सिमम मजदूरी बन जाती है। तो भारत सरकार के पास अभी फिलहाल कोई ऐसे प्रपोजल्स नहीं हैं कि जिनके तहत भारत सरकार कोई अपनी एक ऐसी बॉडी बना दे जिसके माध्यम से हम मानीटरिंग कर सकें और उसको लागू करवा सकें। इस मामले में राज्य सरकार सक्षम बाडी होती है और वही उसको लागू करने का काम करती है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सभापति जी, मेरे सवाल का तो जवाब नहीं आया पर फिर भी मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा और मंत्री महोदय खुद इस प्राब्लम से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और बड़ी संवेदना से सब जगह वक्तव्य देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्मेलन में यूनीफार्म मिनिमम वेजेज ऐक्ट, एग्रीकल्चर लेबर के लिए लागू करने का कोई रिकमंडेशन आया है या नहीं क्योंकि मैं बिहार से आता हूं। बिहार और यू० पी० का ज्यादा से ज्यादा लेबर जो है वह माइग्रेट होकर जाता है पंजाब और कई बार देखा गया है कि क्षेत्रीयता की बात उठाते हुए लोग कहते हैं कि यह लेबर वहां नहीं जाना चाहिए, वहां से लेबर यहां नहीं आना चाहिए। जाने का सिर्फ एक मकसद कि बंधुआ मजदूर अपनी मुक्ति के लिए या जो उनके क्षेत्र में कम मजदूरी मिलती है, उससे मुक्ति पाने के लिए वह पंजाब में या महाराष्ट्र में जहां उसको ज्यादा मजदूरी मिलती है, वहां जाता है। इसको रोकने के लिए जब तक हम यूनीफार्म मिनिमम वेजेज ऐक्ट नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकारों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार का अधिपत्य होना बहुत जरूरी है। मैं इसके बारे में जवाब जानना चाहता हूं और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 5 रुपये का रेट आज मिलता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस पर कुछ इंटरफीयर कर सकता है या नहीं कर सकती है?

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, जहां तक मिनिमम वेजेज का सवाल है, जो यूनीफार्मिटी की बात ये कह रहे हैं तो अलग-अलग राज्य सरकारें हैं, उनकी अलग-अलग क्षमता है और उसी क्षमता के आधार पर वहां की न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। बिहार में जैसा कि आपने कहा कि बिहार में 10 रुपया न्यूनतम मजदूरी है। तो जब वह 10 रुपया तक नहीं दे पाते हैं और आप कहते हैं कि बिहार से मजदूरों को पंजाब और हरियाणा जाना पड़ता है। उस परिस्थिति

में यदि हम कह दें कि हरियाणा के समान तुम 33 रुपये न्यूनतम मजदूरी कर दो, तो यह हास्यास्पद बात होगी।

या उस परिस्थिति में जो सब से बड़ी चीज है, जिसके संबंध में हम सोच रहे हैं वह यह है कि सेंट्रल लेजिस्लेशन के माध्यम से हम एक ऐसा कानून बना दें जिसके तहत कम से कम जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, उनको हम इम्प्लायमेंट की गारंटी दे सकें। यदि उनको इम्प्लायमेंट की गारंटी मिल जाएगी और मजदूर को यह मालूम होगा कि हम खेत में काम नहीं करेंगे तो हम बैठे नहीं रहेंगे बल्कि हमको सड़क पर कहीं काम मिल जाएगा सिंचाई में कहीं काम मिल जाएगा। वैसी परिस्थिति में जब जांच का आल्टरनेटिव उसके सामने रहेगा तो वह न्यूनतम-मजदूरी देने के लिए भी जोर डाल सकता है। तो जो मुख्य मुद्दा है वह है सेंट्रल लेजिस्लेशन का जिसके संबंध में हम लोगों ने विचार किया था। अभी हमारी कंसलटेटिव कमेटी की बैठक हुई थी और फिर हम 17 तारीख को स्पेशल इसी विषय पर कंसलटेटिव कमेटी की बैठक बुला रहे हैं जिसमें हम सेंट्रल लेजिस्लेशन के संबंध में विचार करेंगे। तो जो आप यूनीफार्मिटी की बात कर रहे हैं वह प्रैक्टिकेबल नहीं है।

श्री रजनी रंजन साहू: उन्होंने पूछा है फतहपुर में 5 रुपया मिलता है। वहां क्या मिनिमम वेजेज है?

श्री राम विलास पासवान: देखिए, जहां तक किसी संसदीय क्षेत्र का मामला है, चाहे प्रधान मंत्री का हो या किसी और का हो, सारी चीजों को आप पोलिटिक्लाइज क्यों करना चाहते हैं? समस्या तो समस्या है.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: क्या आप उसे स्वीकार करते हैं?

श्री राम विलास पासवान: यदि कोई कह दे कि राजीव गांधी के क्षेत्र में कितना मिलता था, तब क्या जवाब देंगे?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: वह बात नहीं है। मैंने जो स्पैसिफिक सवाल पूछा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: आप लिख कर दे दीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मैंने लिखकर यह प्रश्न किया है और यह अधिकार आप मेरे से नहीं छीन सकते? वह मेरा मौलिक अधिकार है, मैं पूछूंगा जवाब आपको देना है। यह क्वैशन आवर है और हर चीज को लिखकर मत मांगिये।

श्री राम विलास पासवान: अहलुवालिया साहब, यदि किसी क्षेत्र में किस जिले में न्यूनतम मजदूरी से कम मिलता तो उसके लिए राज्य की चाहें पहले की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, दोनों दोषी होंगी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: अब यह पहले बताइयेगा न। चुप क्यों हो जाते हैं? शांत क्यों हो जाते हैं?

श्री रामविलास पासवान: आप लिखकर तो दीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सभापति महोदय I need your protection. मंत्री महोदय एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं देकर राईटिंग में क्यों मांगते हैं

MR. CHAIRMAN: You don't expect him to know about every constituency.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मंत्री महोदय, अगर जवाब देने में असमर्थ हैं तो वह कह सकते हैं कि बाद में देंगे।

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, आप कम से कम रक्षा कीजिए न।

श्री सभापति: मंत्री जी से यह आशा नहीं की जा सकती कि कहां क्या रेट है?

श्री एन. के. पी. साल्वे: मिस्टर चेयरमैन, यह अधिकार आपका है, यह क्षेत्र बाहर है आप लिख दो।

श्री सभापति: कुछ कामनसेंस भी होता है। आप यह आशा करें, कल को आप मंत्री हों और आप तो थे, तो आप

यह आशा करते थे कि किस कांस्टीट्यूंसी में क्या रेट है, तो बताना बहुत मश्किल है ।

श्री एन.के.पी. साल्वे : मगर यह फैसला आप करें, मंत्रियों की मर्जी पर न छोड़ें, मंत्रियों को यह अधिकार न दें। आपने एक दफा पहले प्रोटेक्शन दिया था जब होम मिनिस्ट्र कह रहे थे एक मेम्बर को कि लिखकर दो उन्होंने कहा कि लिखकर देने की क्या बात है यह तो सवाल पूछ रहे हैं । आप तय करलें कि यह दायरे के बाहर होगा ।

श्री सभापति : मैं तो प्रोटेक्शन नहीं देता । मैं तो सीधी सच्ची बात कहता हूं ।

श्री एन.के.पी. साल्वे : हम उसे प्रोटेक्शन समझते हैं, अध्यक्ष जी ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Mr. Chairman, Sir, this question is a very basic and fundamental issue because the concept of minimum wages is the bare minimum which is necessary for a human being to exist in this world just to keep the body and flesh together. I cannot conceive that this bare minimum should be different in different parts of the country, it should be one in Maharashtra and a different one in Uttar Pradesh and yet quite another one in some other State. Now, without waiting for the uniform Minimum Wages Act, is it or is it not possible for the Central Government to fix a floor minimum wage throughout the country below which no State will be permitted to fix a minimum wage?

श्री राम विलास पासवान : सर, जो राज्य जहां तक केन्द्र सरकार जब निर्धारित करती है वह मिनिमम वेजिज तय करती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें उससे कम नहीं दे सकती हैं वह मिनिमम है। लेकिन दिक्कत यह होती है वेजिज के मामले में जो मिनिमम होता है यही मैक्सिमम बन जाता है। इसलिए मिनिमम है कि कहां कितना देना चाहिए ।

श्री सभापति : उनका प्रश्न बड़ा सीधा है कि पूरे देश के लिए कोई फ्लोर मिनिमम वेज बनायी है आपने, उससे कम नहीं दे सकते ?

श्री राम विलास पासवान : जी है, मैंने वही कहा पूरे देश के लिए, यदि आज से पांच साल पहले या अभी मान लेते हैं कि दस रुपया मिनिमम वेजिज होना चाहिए तो कोई भी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि दस रुपये से कम मिलेगा, उससे ज्यादा जितना दे सकें, दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, सवाल केवल कानून का नहीं है, न्यूनतम मजदूरी का कानून बन हुआ है। मगर उसे मजदूरी पर काम नहीं मिलता, लोग सस्ते भाव पर अपना श्रम बेचने के लिये तैयार होते हैं । क्या सरकार सारे देश में रोजगार गारंटी योजना लागू करेगी कि जिसमें न्यूनतम से कम वेतन नहीं मिलेगा ? मगर काम जरूर मिलेगा ।

श्री राम विलास पासवान : जो सेंट्रल लेजिस्लेशन खेतीहर मजदूरों के संबंध में लाने पर सरकार विचार कर रही है, जो वाजपेयी जी ने सुझाव दिया उसमें एम्प्लायमेंट गारंटी की बात है और न्यूनतम मजदूरी से कोई कम नहीं देगा' इसका भी प्रावधान रहेगा ।

श्री शांति त्यागी : जो कृषि में एग्रीकल्चर लेबर काम करती है टेम्पोरेरी बेसिस पर उनके लिए कोई मिनिमम वेज का कानून नहीं है, जैसे कि गेहूं निकालने की मशीन पर काम करने वाले हैं, जैसे आलू के खेत में काम करते हैं या जैसे हारवेस्ट में काम करते हैं...

श्री सभापति : क्या अलग-अलग काम करने वालों के लिए अलग-अलग मिनिमम वेज हैं ?

श्री शांति त्यागी : टेम्पोरेरी लेबर जो हैं उनके लिए अलगअलग मिनिमम वेज निर्धारित है क्या ?

श्री राम विलास पासवान : उसके लिए न्यूनतम वेजेज निर्धारित हैं ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.